५५

संख्या–70/VI-2/2014–59(03)2012

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2014

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 650/2012 पाचरी, पट्टी धारमण्डल, जनपद टिहरी गढ़वाल में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1533/मि0स्टे0/2012–13 दिनांक 01 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पाचरी, पट्टी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आंगणन ₹31.65 (₹इक्तीस लाख पैसठ हजार) मात्र के सापेक्ष शासनादेश संख्या 487/VI-2/2010 दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सामग्री अंश में विभागीय अंशदान की सीमा ₹10.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 में **₹10.00 लाख (₹दस लाख)** की धनराशि संगत लेखाशीर्षक से आहरित कर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पी0एल0ए0 खाते में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। ऐसा व्यय सम्बन्धिम की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वि0वि0 के शासनादेश संख्या 474/XXVII (7)/2008

दिनांक 15.12.2008 को विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति करा निरन्तर अनुश्रवण भी किया जायेगा।

3– पी0एल0ए0 से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से धनराशि फेज मैनर में वित्त विभाग की सहमति से आहरित कर व्यय की जायेगी, इस कार्य हेतु अनुबन्ध सम्बन्धित एजेन्सी/कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किश्त जारी की जायेगी।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

6– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

8– विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिक के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य

करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कं की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– उक्त निर्माण कार्यो का मनरेगा से युगपतीकरण किया जायेगा, तद्नुसार श्रमांश का वित्त पोषण पूर्ण रूप से मनरेगा योजना से तथा सामग्री अंश युवा कल्याण विभाग से पोषित किया जायेगा।

14– उक्त व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम–102– खेलकूद स्टेडियम–15–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत** पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–439(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 31 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या–70 / VI-2/2014–59(3)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. अनुसचिव, मा0 मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।